भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2084

सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

'आगमन पर वीज़ा'

†2084. श्री धर्मबीर सिंहः
श्री मनोज तिवारीः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री बिप्लब कुमार देबः
श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014 से 'आगमन पर वीजा' सुविधा का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने राज्य-वार कोई पर्यटन सर्वेक्षण कराया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके उद्देश्य और ब्यौरा क्या है; और

(च) पर्यटन क्षेत्र में वीजा औपचारिकताओं को सरल बनाने, सुरक्षा बढ़ाने और अवसंरचना के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): जी हां, जापान, दक्षिण कोरिया तथा संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए पर्यटन, व्यापार, सम्मेलन तथा चिकित्सा प्रयोजनों हेतु आगमन पर वीजा सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 6 निर्दिष्ट हवाईअड्डों के माध्यम से प्रवेश हेतु 60 दिनों के लिए दोहरे प्रवेश की सुविधा होगी ।

(घ) और (ङ): पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के क्षेत्र में आवश्यकता आधारित पर्यटन सर्वेक्षण/अनुसंधान/अध्ययन/व्यवहार्यता अध्ययन करता है । ये सर्वेक्षण/अध्ययन नीतियों के विकास

का आधार बनते हैं और यह समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि क्या ऐसी नीतियां और कार्यक्रम हमारे अभीष्ट उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं और सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं ।

(च): वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार (ईटीए) के साथ ई-वीजा सुविधा '30 निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों' और '06 प्रमुख बंदरगाहों' के माध्यम से प्रवेश हेतु 167 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है ।

पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से 15 राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है । पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा से संबंधित सूचना के रूप में सहायता सेवा प्रदान करने और भारत में यात्रा के दौरान विपत्ति में फंसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1800111363 या लघु कोड 1363 पर 24x7 बहुभाषी पर्यटक सूचना-हेल्पलाइन भी स्थापित की है ।

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में अपनी स्वदेश दर्शन योजना की शुरूआत की थी जिसके अंतर्गत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । यह वित्तीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों आदि के परामर्श से प्रदान की जाती है । वर्ष 2014-15 में इसकी शुरूआत से वर्ष 2018-19 तक देश में चिह्नित थीमेटिक परिपथों के तहत तक 5287.90 करोड़ रु. की संशोधित स्वीकृत राशि से कुल 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 4944.47 करोड़ रु. जारी किए गए हैं । मंत्रालय ने पर्यटन और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) का नया रूप दिया है ।

पर्यटन मंत्रालय ने चिह्नित तीर्थ स्थलों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में तीर्थस्थान जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन की शुरूआत की । पर्यटन मंत्रालय ने प्रशाद योजना के तहत 1621.14 करोड़ रु. मंजूर किए हैं, जिसमें से 1024.18 करोड़ रु. जारी किए गए हैं ।

*****